न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/231

1. घींसी बाई बेवा नाथूलाल जाति चमार निवासी मण्डा तहसील रामगंजमण्डी ।
2. गुलाब पुत्र स्व0 बिरधा चमार निवासी मण्डा हक त्याग ना0 बा0 परमानन्द पुत्र नाथू जरिये वली माता घींसी बाई ।
3. परवत ना0 बा0 पुत्र नाथूलाल जरिये वली माता घींसी बाई ।
4. मांगी बाई ना0 बा0 पुत्री स्व0 नाथूलाल जरिये वली माता घींसी बाई ।
5. मनभर बाई ना0 बा0 पुत्री स्व0 नाथूलाल जरिये वली माता घींसी बाई ।
6. रेखा ना0 बा0 पुत्री स्व0 नाथूलाल जरिये वली माता घींसी बाई ।
7. पूजा ना0 बा0 पुत्री स्व0 नाथूलाल जरिये वली माता घींसी बाई ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रोडी बाई पुत्री राध्या जाति चमार निवासी मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. स्व0 रघुनाथ आत्मज स्व0 परवत सिंह राजपूत जरिये कायममुकामान :–
   2/1. शम्भू सिंह आत्मज स्व0 रघुनाथ जाति राजपूत – पुत्र ।
   2/2. दुर्गा सिंह आत्मज स्व0 रघुनाथ जाति राजपूत – पुत्र ।
   2/3. श्रीमती जतन कंवर पत्नी स्व0 रघुनाथ जाति राजपूत –पत्नी ।
3. स्व0 रामी बाई पुत्री स्व0 राध्या पत्नी रामलाल निवासी हाल खानपुरिया जिला झालावाड जरिये कायममुकामान :–
   3/1. भवानी लाल पुत्र रामलाल चमार – पुत्र ।
   3/2. मांगी बाई पुत्री स्व0 रामीबाई चमार – पुत्री निवासी खानपुरिया तहसील झालावाड ।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 15/232

1. घींसी बाई बेवा नाथूलाल जाति चमार निवासी मण्डा तहसील रामगंजमण्डी ।
2. गुलाब पुत्र स्व0 बिरधा चमार निवासी मण्डा हक त्याग ना0 बा0 परमानन्द पुत्र नाथू जरिये वली माता घींसी बाई ।
3. परवत ना0 बा0 पुत्र नाथूलाल जरिये वली माता घींसी बाई ।
4. मांगी बाई ना0 बा0 पुत्री स्व0 नाथूलाल जरिये वली माता घींसी बाई ।
5. मनभर बाई ना0 बा0 पुत्री स्व0 नाथूलाल जरिये वली माता घींसी बाई ।
6. रेखा ना0 बा0 पुत्री स्व0 नाथूलाल जरिये वली माता घींसी बाई ।
7. पूजा ना0 बा0 पुत्री स्व0 नाथूलाल जरिये वली माता घींसी बाई ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रोडी बाई पुत्री राध्या जाति चमार निवासी मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. स्व0 रघुनाथ आत्मज स्व0 परवत सिंह राजपूत जरिये कायममुकामान :–
   2/1. शम्भू सिंह आत्मज स्व0 रघुनाथ जाति राजपूत – पुत्र ।
   2/2. दुर्गा सिंह आत्मज स्व0 रघुनाथ जाति राजपूत – पुत्र ।
   2/3. श्रीमती जतन कंवर पत्नी स्व0 रघुनाथ जाति राजपूत –पत्नी ।
3. स्व0 रामी बाई पुत्री स्व0 राध्या पत्नी रामलाल निवासी हाल खानपुरिया जिला झालावाड जरिये कायममुकामान :–
   3/1. भवानी लाल पुत्र रामलाल चमार – पुत्र ।
   3/2. मांगी बाई पुत्री स्व0 रामीबाई चमार – पुत्री निवासी खानपुरिया तहसील झालावाड ।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी ।

–––रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बी0 सी0 मालवीय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय दिनांकः 16.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा समान पक्षकार होने तथ एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में सलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 रोडी बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 113/2012 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एंव 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 1027 की 06 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । वादिनी के पिता ने अपनी बीमारी के ईलाज के लिए वादी क्रम 02 से उधार लेकर उक्त भूमि उनको पांति काश्त पर दी थी । वादिनी के पिता की मृत्यु के बाद वादिनी को सर्वप्रथम वादग्रस्त आराजी वादिनी के ताऊ बिरधा के पुत्र गुलाब व पौत्र नाथूलाल के खाते दर्ज होने की जानकारी हुई । वादिनी के पिता के खाते की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 76 से प्रतिवादी क्रम 01 के नाम खोल दिया उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत गोयन्दा से तस्दीक कराया । नाथूलाल के

निधन होने पर उसके बजाय दिनांक 19.08.2004 को नामान्तरकरण संख्या 783 प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 06 का नाम वादग्रस्त आराजी जमाबन्दी में दर्ज करने बाबत् तस्दीक किया गया जो अवैध है । नामान्तरकरण संख्या 76 व 783 अवैध है । प्रतिवादी कम 1 व 2 वादग्रस्त आराजी पर समस्त प्रतिवादीगण का नाम जमाबन्दी में दर्ज होने से उसको विक्रय कर खुर्द–बुर्द करने का प्रयास कर रहे हैं जिसका उनको अधिकार नहीं है ।

4. अतः वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादिनी को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1027 की रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा ग्राम गोयन्दा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम का खातेदार कृषक इन्द्राज करने की डिक्री पारित की जावे । नामान्तरकरण संख्या 76 व 783 ग्राम पंचायत गोयन्दा अवैध व प्रभावशून्य घोषित किया जावे । प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादिनी अथवा उसके पांतिदार वादी कम 02 को वादिनी के कब्जे काश्त की भूमि में कोई हस्तक्षेप नहीं करें ।

5. इसी प्रकार एक अन्य वाद वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 रोडी बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 114/2012 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 88 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मण्डा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 380 की 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 467 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, ख्सरा नम्बर 473 की 03 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 474 की 06 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 475 की 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 464 की 08 बीघा 02 बिस्वा कुल 06 किता की 26 बीघा 10 बिस्वा भूमि व चाह संख्या 476 रकबा 18 बिस्वा स्थित है । उक्त भूमि राध्या व बिरधा के सहखातेदारी की भूमि है । सहखातेदार राध्या के कोई पुत्र नहीं था उसकी विधवा पत्नी का भी देहान्त हो गया उनकी दो पुत्रियॉ रामी व रोडी वादिनी पैदा हुई जिसमें रामी का भी देहान्त हो गया । केवल वादिनी रोडी की मृतक राध्या की वैध संतान है उसका वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा है । मृतक बिरधा के दो पुत्र प्रतिवादी कम 1 गुलाब व रतन पैदा हुए उनमे से रतन व उसकी पत्नी का भी देहान्त हो गया । मृतक बिरधा के वैध उत्तराधिकारी उसका पुत्र प्रतिवादी कम 01 गुलाब पौत्र नाथूलाल थे जिनका वादग्रस्त आराजी में बिरधा के 1/2 हिस्से पर संभाग से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए । वादग्रस्त आराजी में वादिनी मृतक राध्या के 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारनी है । नामान्तरकरण संख्या 76 के आधार पर जमाबन्दी में मृतक राध्या के बजाय 1/2 भाग भूमि पर मृतक नाथूलाल का नाम दर्ज किया गया है जो अवैध है । नाथूलाल की मृत्यु होने पर वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से पर नामान्तरकरण संख्या 540 से नाथूलाल के पुत्र–पुत्रियों व बेवा प्रतिवादीगण कम 02 लगायत 07 का नाम दर्ज कर दिया जो अवैध है । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है ।

6. अतः वादिनी को वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का सहखातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी का विभाजन कर 1/2 भाग भूमि उसके अलग खाते दर्ज की जाकर उसको कब्जा दिलाया जावे ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने वाद संख्या 114/2012 में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.01.2012 एवं वाद संख्या 113/2012 में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.02.2012 के द्वारा वादिनी के दोनों वाद वादिनी स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिये ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.01.2012 एवं 21.02.2012 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में दो अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 10.08.2012 के द्वारा दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

9. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2012 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2015 के द्वारा दोनों वाद वादिनी स्वीकार कर डिक्री कर दिये ।

10. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में दोनों अपीलें प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 1027 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा अपीलान्ट के खाते दर्ज हो गयी तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 02 से 06 के खाते दर्ज है । उक्त भूमि का इंतकाल विधिवत प्रतिवादीगण के पक्ष में खोला जाकर आराजी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज की गई है । उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण क्रम 02 से 6 लगातार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादिनी के पिता का फोती इंतकाल 76 बिरधा के खाता संख्या 133 बाबत् खोला गया । वादिनी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार एंव आवश्यक पक्षकार वादिनी की बहिन रामीबाई के कायममुकामान को पक्षकार बनाये बिना प्रस्तुत किया था जो चलने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद लोक अदालत में अपीलान्ट की अनुपस्थिति अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किये हैं । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2015 निरस्त फरमाये जावे ।

11. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

12. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि ग्राम गोयन्दा एवं ग्राम मण्डा तहसील रामगंजमण्डी में वादग्रस्त आराजी स्थित है । गोयन्दा में खसरा नम्बर 1027 रकाब 06 बीघा 05 बिस्वा प्रतिवादी अपीलान्ट के खाते में दर्ज है और कब्जा प्रतिवादी अपीलान्ट का है । ग्राम मण्डा की कुल 06 किता की 26 बीघा 10 बिस्वा आराजी चाह संख्या 476 रकबा 18 बिस्वा सहखातेदारी में दर्ज है इस पर अपीलान्ट प्रतिवादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अपीलाधीन निर्णय से रेस्पोडेन्ट वादिनी के हक में डिक्री जारी की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि वादग्रसत आराजी बिरधा व राध्या के संयुक्त खाते में दर्ज है । वादिनी के पिता का फौती इंतकाल संख्या 76 बिरधा के खाता संख्या 133 बाबत् खोला गया तत्पश्चात् उसकी मृत्यु होने के बाद मृतक बिरधा के पुत्र प्रतिवादी क्रम 01 व नाथूलाल के पक्ष में ग्राम पंचायत गायेन्दा द्वारा नामान्तरकण तस्दीक किया गया । मृतक नाथू लाल के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 783 से उक्त भूमि प्रतिवादीगण क्रम 2 से 6 के नाम दर्ज की गई । उक्त इंतकाल के विरूद्ध वादिनी रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपील नहीं की गई है । समस्त आराजी गुलाब व रतन के संयुक्त खाते में दर्ज होकर रामा की मृत्यु हो जाने पर आराजी नाथू और गुलाब के संयुक्त

खाते में दर्ज हो गयी और नामान्तरकरण संख्या 540 से प्रतिवादी कम 02 से 07 के खाते दर्ज की गई। समस्त आराजीयात अपीलान्ट प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है और वे ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । सहखातेदार गुलाब द्वारा नामान्तरकरण संख्या 666 से अपने हिस्से की भूमि को जरिये रिलीज डीड परमानन्द के पक्ष में अन्तरित की है । इसके बावजूद त्रुटिपूर्ण निर्णय व डिक्री पारित की है । राध्या का समस्त कियाकर्म गुलाब के द्वारा किया गया था इस कारण नामान्तरकरण प्रतिवादीगण अपीलान्ट के पक्ष में खोला गया । वादिनी ने उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की । वादिनी 40–50 पूर्व अपना विवाह होने के बाद अपने पति को छोडकर अन्यत्र नाते चली गयी । उसका उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । वादिनी रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है । कब्जे के अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है । लोक अदालत में पक्षकारों की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है तथा सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2015 निरस्त फरमाये जावें ।

13. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पहले भी प्रकरण को न्यायालय द्वारा सन् 2012 में रिमाण्ड किया था । लोक अदालत में दोनों पक्ष उपस्थित हुए हैं। वादिनी सहखातेदार राध्या की पुत्री है इस कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादिनी सहखातेदार दर्ज होने की अधिकारिनी है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दोनों दावों को स्वीकार कर डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2015 बहाल रखा जावे ।

14. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.01.2012 एवं दिनांक 21.02.2012 से दावा वादिनी डिक्री किये गये थे जिसके खिलाफ अपील होने पर इस न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.08.2012 से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये गये इसके उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए दोनों दावे वादिनी डिक्री किये गये हैं ।

15. अपील संख्या 15/232 में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न नकल खतौनी बन्दोबस्त सवंत् 2014–33 प्रदर्श– 1 के अनुसार ग्राम मण्डा की कुल 06 किता की 26 बीघा 10 बिस्वा भूमि राध्या, बिरदा पिता नन्दा के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2047–50 प्रदर्श– 2 के अनुसार खसरा नम्बर 476 रकबा 18 बिस्वा गै0मु0 चाह राध्या, बिरधा पुत्र नन्दा हिस्सा 1/3 में संभाग से सत्यनारायण, शंकर पुत्र भवाना हिस 1/2 संभाग से दर्ज है जिसमें इंतकाल संख्या 313 का नोट अंकित है । नकल जमाबन्दी संवत् 2055–58 प्रदर्श– 3 पेश की गई है । नकल नामान्तरकरण रजिस्टर प्रदर्श– 4 पेश किया है जिसके अनुसार कुल 06 किता की 26 बीघा 10 बिस्वा आराजी राध्या के मरने के बाद राध्या के लडका नहीं होने पर उसके सगे भाई बरदा का लडका गुलाब व पौत्र नाथू बेटा रतन के खाते में दर्ज करने का आदेश हुआ है ।

16. पत्रावली पर वादी की ओर से बयान रोडी बाई पीडब्ल्यू–1, छीतर सिंह पीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं ।

17. प्रतिवादी की ओर से बयान घींसी बाई डीडब्ल्यू–1, नारायण डीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं ।

18. अपील संख्या 15/231 में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 के अनुसार खसरा नम्बर 1027 की रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा आराजी गुलाब पुत्र बिरधा, नाथूलाल पुत्र रतन लाल के नाम खाते में दर्ज है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 783 का नोट अंकित है जिसमें नाथू लाल के स्थान पर उनके वारिसान का नाम दर्ज किया गया है । नकल नामान्तरकरण प्रदर्श– 2 संलग्न है जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 182 के अनुसार राध्या वल्द नन्दा के खाते में दर्ज खसरा नम्बर 1027 की रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा आराजी राध्या के लडका नहीं होने पर उसके सगे भाई बरदा का लडका गुलाब व पौत्र नाथू बेटा रतन के खाते में दर्ज करने का आदेश हुआ है । नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2014–33 प्रदर्श– 3 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1027 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा भूमि राध्या वल्द नन्दा के खाते में दर्ज है ।

19. पत्रावली पर वादी की ओर से बयान रोडी बाई पीडब्ल्यू–1, रघुनाथ पीडब्ल्यू–2, छीतर सिंह पीडब्ल्यू–3 कराये गये हैं ।

20. प्रतिवादी की ओर से बयान घींसी बाई डीडब्ल्यू–1, नारायण डीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं ।

21. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस न्यायालय से प्रकरण रिमाण्ड होने के उपारान्त इस न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किये गये । वादी द्वारा इस न्यायालय के निर्णय की पालना में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु कई अवसर लिये और दिनांक 16.06.2014 की आदेशिका के अनुसार कायममुकामान रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । पत्रावली कायममुकामान की तलबी में लम्बित थी और दिनांक 02.03.2015 को कायम मुकाम भवानी लाल की ओर से वकालतनामा और दिनांक 06.04.2015 को मांगीबाई की ओर से भी वकालतनामा पेश किया गया और दोनों पक्षों के अभिभाषकों के द्वारा जवाब पेश नहीं करने का कथन किया गया । पत्रावली बहस हेतु दिनांक 29.06.2015 नियत को दिनांक 29.06.2015 की तिथि में ओवर राइटिंग हो रही है । दिनांक 29.06.2015 से पूर्व ही इसे दिनांक 21.05.2015 को लोक अदालत में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए है और न ही उनके द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है । दिनांक 21.05.2015 की आदेशिका पर जो हस्ताक्षर हैं उनमें से एक हस्ताक्षर रेस्पोडेन्ट कम 8/1 और 8/2 के अभिभाषक के हैं और दूसरे हस्ताक्षर वादिनी के अभिभाषक के प्रतीत होते हैं । अपीलान्टगण के अभिभाषक के हस्ताक्षर नहीं हैं ।

22. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में उभय पक्षीय बहस सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

23. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 15/231 एवं 15/232 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2015 प्रकरण संख्या 113/2012 एवं 114/2012 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली प्राप्ति के 03 माह के अन्दर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

24. निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा